न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00027)

जन्टा सिंह पुत्र कोर सिह जाति जट सिक्ख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। (फौत)

1/1 विमला देवी पत्नी	जगदीश चन्द्र जाति जाट साकिन
1/2 नरेश कुमार पुत्र	झांसल तहसील भादरा जिला
1/3 सुदेशरानी पुत्री	हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर

असल रेस्पोडेन्ट

3. बलजीत कौर पत्नि मेजर सिह पुत्री जंगीर सिह जाति जट सिक्ख साकिन सदासिहवाला तहसील व जिला मान्सा पंजाब।
4. बहादर सिह पुत्र कोर सिह जाति जट सिक्ख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।
5. अंग्रेज कौर पुत्री कोर सिह जाति जट सिक्ख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।
6. जसविन्द्र कौर पुत्री कोर सिह जाति जट सिक्ख निवासी बुर्ज ढिलवा तहसील व जिला मान्सा पंजाब।

(आदेश दिनांक 15.11.2022 द्वारा अभिभाषक अपीलान्ट के निवेदन पर तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 6 का नाम (Delete) हटाये गये।)

तरतीबी रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में नामान्तरण सं. 374 दिनांक 03.07.2009 तहसील नोहर के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर नामान्तरण सं. 374 दिनांक 03.07.2009 चक 14 बरानी निरस्त किया जाकर मुताबिक निर्णय व राजीनामा के दर्ज किया जाने का आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.12.2015 द्वारा अपील आंशिक रूप स्वीकार कर इन्तकाल सं. 374 दिनांक 03.07.2009 को खारिज कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर न्यायालय की डिक्री व डिक्री में अंकन राजीनामा का अवलोकन कर पुनः सही रूप से इन्तकाल दर्ज करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट जन्टासिह द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/3 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि इन्तकाल सं. 374 दिनांक 03.07.2009 तहसीलदार नोहर निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय के आधार पर दर्ज किया गया था। प्रथम अपील मियाद बाहर थी। मियाद के बिन्दु को निस्तारण किये बिना अपील का फैसला कर दिया है। तथाकथित राजीनामे से पारित डिक्री को संक्षम न्यायालय में चैलेज किया जा चुका था। एस डी ओ नोहर के समक्ष एक दावा निहालकौर बनाम जगदीश आदि मु. नं. 15/2008 पेश किया गया था। उक्त वाद में एक फर्जी व कुटरचित राजीनामा, रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं किसी दीगर महिला जिसकी तस्दीक अपीलार्थी की माता निहालकौर के रूप में की गई, के बीच दिनांक 15.01.2009 को पेश हुआ। उक्त प्रकरण का दिनांक 26.02.2009 को निर्णय पारित कर सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा डिक्री जारी की गई कि वाद भूमि चक 14 बारानी के खाता सं. 32/39 में दर्ज 11.638 हैक्टयर भूमि मे 1/8 हिस्सा मे वादीया का 32 हिस्सा भूमि वादीया के नाम से दर्ज की जावें एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा खाता सं. 63/66 की 3.795 हैक्टयर भूमि मे दर्ज 1/3 हिस्सा मे निस्फ हिस्सा बैदस्तुर प्रतिवादी सं. 1 जगदीश चन्द्र के नाम रहेगी। इस स्तर पर यह भी निवदेन है कि उक्त प्रकरण मे सहायक कलक्टर जिला कलेक्टर नोहर के समक्ष पेश फर्जी राजीनामा व पारित निर्णय दिनांक 26.02.2009 को

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय नोहर के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है, जो कि प्रकरण अभी लम्बित हैं। जिसके बाद प्रत्यर्थी सं. 2 तहसीलदार नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2009 वाद भूमि का इन्तकाल नामान्तकरण सं. 374 दिनांक 03.07.2009 के अपीलार्थी की माता निहालकौर के नाम दर्ज हो गया। उसके बाद अपीलार्थी की माता का देहान्त हो जाने के कारण वाद भूमि का इन्तकाल 484 दिनांक 08.10.2013 अपीलार्थी व गौण रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुआ। इन्तकाल सं. 374 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वीकार करते हुए HDFC बैक शाखा रावतसर के अधीन रहन रखकर लाभ प्राप्त करते हुए इन्तकाल सं. 493 दिनांक 11.02.2014 दर्ज हुआ। उसके बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा करीब 6 वर्ष बाद मिथ्या तथ्यो के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ तहसीलदार नोहर के नामान्तकरण 374 को निरस्त करवाने की अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा दिनांक 14.12.2015 को इन्तकाल सं. 374 को खारिज कर न्यायालय की डिक्री व डिक्री में अंकन राजीनामा अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का निर्देश दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो व भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का सही प्रकार से मनन विवेचन न कर मात्र क्यास के आधार पर Non Speaking आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने एक झूठा प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 5 लिमिटेशन अधिनियम का पेश किया जिसमें स्वय को किसान व भोलाभाला ग्रामीण व्यक्ति बताते हुए पटवारी के द्वारा नामान्तकरण दिनांक 03.07.2009 का ज्ञान होने का कथन करते हुए अपील अन्दर मियाद होने का कथन किया, जबकि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी काश्तकार को बैक द्वारा भूमि पर ऋण जारी करने से पूर्व हल्का पटवारी से भूमि प्रमाण पत्र व जमाबन्दी गिरदावरी आदि दस्तावेजात जारी व दर्ज करता है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने वर्ष 2014 मे सहायक कलक्टर के निर्णय के आधार पर दर्ज नामान्तकरण अपने हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने के बाद अपने हिस्से की भूमि पर HDFC बैक शाखा रावतसर के अधीन रहन रखकर लाभ प्राप्त किया जिससे स्पष्ट है

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को नामान्तकरण सं. 374 दिनांक 03.07.2009 का ज्ञान दर्ज होने की दिनांक से ही था। इस कारण अपील किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नही थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2015 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2000 पृष्ठ 557, RRD 1984 पृष्ठ 261, RRD 2007 पृष्ठ 311, RRD 1999 पृष्ठ 98, RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 2006 पृष्ठ 366, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 14.12.2015 के विरूद्व दिनांक 09.04.2018 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिसके समर्थन मे दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही होना नही बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 के रूप में बतौर पक्षकार रहे है, प्रस्तुत अपील 3 वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है जो कि निश्चित तौर पर मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को मियाद बाहर मनाने हेतु प्रस्तुत की गई नजीर खुद अपीलान्ट पर भी लागू होती है। इसलिए अपील मे मेरिट पर विवेचना नही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर मिलेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है, तदनुसार अपील अपीलान्ट भी खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर